बिहार विधान परिषद

(विधान परिषद् का 192वां बजट सत्र)

12 जुलाई 2019

[शिक्षा - खान एवं भूतत्व - कला, संस्कृति एवं युवा विज्ञान एवं प्रावैधिकी].

- 28

शिक्षकों को ऋण

*77 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को निजी ऋण (Personal Loan) की सुविधा हेतु विभाग द्वारा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही पत्र निर्गत किया गया है जबकि अन्य बैंक इस पत्र के आधार पर ऋण देने में आनाकानी करते हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जरूरतमंद शिक्षकों को ऋण लेने की सुविधा हेतु संबंधित निर्देश राज्य के सभी बैंकों को देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पात्रता परीक्षा में बैठने का विचार

*200 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की अनुकम्पा के आधार पर नियोजन से संबंधित प्रावधान में कोई संशोधन नहीं किये जाने से मृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों

(सेवाकाल में मृत) के आश्रितों का नियोजन बाधित है;

(ख) क्या यह सही है कि सेवाकाल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा पर पंचायत, प्रखंड या नगर शिक्षक के रूप में नियोजन के लिए इंटरमीडिएट/स्नातक के साथ प्रशिक्षित और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की शर्त रखे जाने से उन आश्रितों के समक्ष आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित शर्तों में संशोधन करने एवं मृतकों के आश्रितों का नियोजन कर उन्हें प्रशिक्षित कराने तथा भविष्य में होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने का अवसर देने का विचार रखती है?

सुविधा या भत्ते का लाभ एक ही साथ समान रूप से लागू करने का विचार

***201 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

शिक्षा

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि; (क) क्या वह राज्य के नियमित, नियोजित, अल्पसंख्यक, मदरसा एवं संस्कृत शिक्षकों को भविष्य में किसी भी वेतन पुनरीक्षण का लाभ अथवा अन्य किसी भी सुविधा या भत्ते का लाभ एक ही साथ समान रूप से लागू करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

संग्रहालय का उपबंध

***202 श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के अंधराठाढ़ी में अवस्थित संग्रहालय का बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2000 ई. में अधिग्रहण किया गया परन्तु आज तक न भवन बनाया गया और न किसी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उचित व्यवस्था के अभाव में संग्रहालय में रक्षित अमूल्य धरोहर विनष्ट होने के कगार पर पहुंच गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अविलंब संज्ञान लेकर अंधराठाढ़ी संग्रहालय के लिए सभी आवश्यक उपबंध करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

बालू के दामों को पूर्व की भांति नियंत्रित

*203 **श्री सुबोध कुमार (वैशाली स्थानीय प्राधिकार):**

खान एवं भूतत्व :-

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बालू-बंदी के बाद राज्य में बालू के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि बालू भवन निर्माण में सबसे कम दामों पर मिलने वाली सामग्री थी, जिसके दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाने के कारण गरीबों को घर बनाना दुर्लभ हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालू के दामों को पूर्व की भांति नियंत्रित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मित्र के वेतन भुगतान में अनियमितता

*204 **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

शिक्षा :-

तारांकित प्रश्न

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के फतेहपुर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय गोपालकेड़ा, प्रा.वि. राजा बिगहा और मध्य विद्यालय, जम्हेता है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 में पहाड़पुर पंचायत की प्राथमिक विद्यालय में विनोद कुमार, प्रा.वि. राजा बिगहा में संगीता कुमारी और मध्य विद्यालय, जम्हेता में रेणु कुमारी शिक्षामित्र के रूप में बहाल हुई थी, इनकी शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट नहीं रहने के कारण विभागीय निदेश पर वर्ष 2005 में इन्हें पदमुक्त कर दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2006 में तीनों रिक्त पदों पर रविशंकर, संध्या कुमारी और नागेश्वर प्रसाद की 11-11 माह के लिए नियुक्ति की गई परन्तु पदमुक्त किए गए और बाद में बहाल सभी 6 शिक्षा मित्र अभी कार्यरत हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) क्या यह सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक और पंचायत सेवक की मिलीभगत से तीन शिक्षा मित्र कीी जगह 6 शिक्षा मित्रों का वेतन भुगतान हो रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक दोषी

पदाधिकारियों और कर्मचारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई कब तक

***205 डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि अवर शिक्षा सेवा के श्री रामजी प्रसाद सिंह, तत्कालीन व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, महेन्द्रू, पटना के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित करने हेतु निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा पत्र संख्या-420, दिनांक 11.06.2018 द्वारा सभी साक्ष्य सहित निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) को निदेश दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण) ने निदेशक, शिक्षा विभाग को लिखा कि चूंकि ये अधिकारी अवर शिक्षा सेवा के हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए वे ही अधिकृत हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इस घालमेल में अब तक आरोपित एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध न तो प्रपत्र 'क' गठित किया गया है और न उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि इस पूरे प्रकरण में विभाग में एक विशेष 'लॉबी' सक्रिय होकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आरोपित अधिकारी पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

नियोजित शिक्षकों के लिए प्रावधान

***206 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है राज्य के सरकारी विद्यालय के नियमित शिक्षकों को मिल रहे मातृत्वावकाश एवं पितृत्वावकाश का सदृश लाभ वहीं पर कार्यरत नियोजित शिक्षिकाओं/शिक्षकों को नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नियोजित शिक्षकों को

भी उक्त लाभ का प्रावधान कब तक करना चाहती है, नहीं तो क्यों?

तिब्बती पाण्डुलिपियों का हिन्दी अनुवाद

***207 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

कला, संस्कृति एवं युवा :-

क्या मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है कि महापंडित राहुल सांकृत्यापन द्वारा तिब्बत से लायी गयी लगभग 10 हजार तिब्बती पांडुलिपियों को हिन्दी में अनुवाद करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पांडुलिपियों का हिन्दी में अनुवाद हेतु तिब्बती स्टडीज की पहल पर 2 करोड़ रुपये की एक परियोजना बनी थी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो अबतक उक्त तिब्बती पांडुलिपियों का हिन्दी में अनुवाद नहीं होने का क्या कारण है?

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन कर बहाली

***208 श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सही है 2 अक्टूबर 1980 के बाद किसी भी राजकीय अथवा राजकीयकृत विद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद सृजित नहीं किये गये;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के सभी विद्यालयों के अधिकांश शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं अन्य विभागीय कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं तथा लिपिक और चपरासी के बिना सारे कार्यों का निष्पादन करना होता है;

(घ) यदि उपर्युक्त् खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक सभी राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों का सृजन कर बहाली करना चाहती है?

शौचालय का निर्माण

***209 श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बिहार शिक्षा परियोजना की यू-डायस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 88,233 स्कूल पंजीकृत हैं, इनमें 19,266 स्कूलों में शौचालय नहीं है, इनमें सरकारी के साथ निजी विद्यालय भी शामिल हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 8700 ऐसे स्कूल हैं, जहां पर छात्राओं के लिए एक भी शौचालय नहीं है, वहीं 10,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर छात्रों के लिए एक भी शौचालय नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि स्कूल में शौचालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी विद्यालयों में शौचालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

आवश्यक कार्रवाई करने का विचार कब तक

***210 श्री सुनील कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला अंतर्गत बिरौल प्रखंड के ग्राम-उछटी में श्यामा संस्कृत उच्च विद्यालय अभी तक भवनहीन है;

(ख) क्या यह सही है कि इस विद्यालय की स्थापना के 25 वर्ष हो गये फिर भी वर्तमान में केवल 1 ही शिक्षक हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्व में सेवानिवृत्त होकर शिक्षकों के चले जाने के बाद 1 भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि उपुर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में भवन निर्माण के साथ-साथ कमिटी गठित कर शिक्षक की नियुक्ति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अनुदान कब तक

***211 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने राज्य के अनुदानित इंटर महाविद्यालयों को वर्ष 2008-09, 09-10, 10-11, 11-12 एवं वर्ष 12-13 का अनुदान वितरित किया है परन्तु बहुत से वैसे अनुदानित इंटर महाविद्यालय जो अनुदान प्राप्त करने की पात्रता भी रखते हैं फिर भी अनुदान से वंचित रह गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने इन्हें अनुदान नहीं मिलने के कारण पैसे की कमी होना बताया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदान से वंचित इन इंटर महाविद्यालयों को शीघ्र अनुदान देना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

+2 हाई स्कूल कब तक

*212 **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के कान्धगोपी पंचायत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुलता वाला पंचायत है;

(ख) क्या यह सही है कि इस पंचायत में छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए लगभग चार किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त् खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में उच्च शिक्षा हेतु +2 हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक?

शिक्षा ऋण का प्रावधान

*213 **डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राज्य एवं राज्य के बाहर तकनीकी / गैर तकनीकी में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अध्ययनरत्त छात्रों को शिक्षा ऋण की व्यवस्था नहीं है, जिससे उन छात्रों को तकनीकी / गैर तकनीकी उच्च शिक्षा लेने में आर्थिक कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य / राज्य के बाहर स्नातक स्तर के तकनीकी एवं गैर तकनीकी की शिक्षा लेने वाले छात्रों के लिए विभागीय प्रावधान के अनुकूल बिहार वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण प्रदत्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'ख' में वर्णित छात्रों की भांति स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी / गैर तकनीकी में अध्ययनरत छात्रों को भी वित्त निगम से शिक्षा ऋण मुहैया कराने का प्रावधान करने का विचार रखती हे, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमण

***214 श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम भदौरा मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण के क्रम में वर्णित गांव में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण यहां के मेधावी छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि भदौरा एवं इसके आसपास गांव की मेधावी लड़कियां उच्च विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण वहां के स्कूल में नहीं जा पाती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित स्थल को छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखते हुए भदौरा मध्य विद्यालय का उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

मरम्मतती का विचार

***215 डा. मदन मोहन झा (शिक्षक दरभंगा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत बिरौल अनुमंडल के ग्राम-पोखराम स्थित +2 कमला उच्च विद्यालय, पोखराम घनी आबादी बहुल क्षेत्र के लिए एक मात्र स्थानीय सरकारी विद्यालय है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त विद्यालय की छत गिर जाने एवं भवन के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण विद्यार्थियों को पठन-पाठन में असुविधा हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन की अविलम्ब मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

अतिथि शिक्षकों की बहाली

*216 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की संकल्प संख्या 51, दिनांक 25.01.2018 के द्वारा राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जिला परिषद एवं नगर निकायों में अवस्थित राजकीय / राजकीयकृत माध्यमिक एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर विभिन्न विषयों के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर संकल्पित हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में 366 रिक्तियां चिन्हित की गई थी;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त रिक्तियों के आलोक में लगभग 2000 (दो हजार) अतिथि शिक्षकों के एक वर्ष के लिए पैनल की वैधता थी;

(घ) क्या यह सही है कि उक्त पैनल के अनुरूप प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची में अभी तक 227 अतिथि शिक्षकों की बहाली की गयी है एवं उनका उपयोग शैक्षणिक कार्य के अलावा लोकसभा चुनाव 2019 में भी विभिन्न जिम्मेदारी में उपयोग किया गया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 366 अतिथि शिक्षकों के स्थान पर 277 की बहाली के बाद शेष खाली स्थानों पर बहाली करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

प्रमाण पत्र कब तक निर्गत

*217 **श्री हरिनारायण चौधरी (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-74, दिनांक 17.04.18 के द्वारा 59 कोचिंग संस्थानों में 48 कोचिंग संस्थान बिहार कोचिंग सेन्टर अधिनियम-2010 के अन्तर्गत निबंधन योग्य सही पाए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 48 कोचिंग संस्थान, जो सारी अर्हता को पूरी कर रहे हैं, तो इन कोचिंग संस्थानों का निबंधन प्रमाण-पत्र अब तक विभाग द्वारा क्यों नहीं निर्गत किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में यथाशीघ्र इन कोचिंग संस्थानों का निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत करना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

विद्यालय भवन का निर्माण

***218 श्री संतोष कुमार सुमन (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के गया शहर स्थित जिला स्कूल को चार कमरों में +2 राजकीय नव स्थापित उच्च विद्यालय, डेल्हा संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के पत्रांक-1788, दिनांक 01.11.2014 के द्वारा धनिया बगीचा, डेल्हा पर बिहार सरकार की भूमि खाता सं.-882 एवं 883 अनाबाद बिहार सरकार, खेसरा सं.-564/100,566,100,1302,131, अंश तथा 891/100 अंश, रकबा 2.173 एकड़ भूमि को प्रतिवेदित किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार +2 राजकीय नव स्थापित उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

निदेशक पद की नियुक्ति रद्द

***219 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना द्वारा दिनांक 23.11.2018 को निदेशक पद की नियुक्ति हेतु विज्ञापन, प्रकाशित किया गया है जिसमें उम्र सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि संस्थान की नियुक्ति नियमावली 2017 में प्रावधान है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित पैनल से ही निदेशक की नियुक्ति की जाएगी

लेकिन विज्ञापन की प्रक्रिया स्वयं संस्थान के द्वारा की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि संस्थान में निदेशक की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त संस्थान द्वारा विज्ञापित निदेशक पद की नियुक्ति क्यों ना रद्द कर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाय?

कार्रवाई करने का विचार

***220 श्री संजय प्रकाश (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि फतुहा प्रखंड के कोल्हर गांव के प्राथमिक विद्यालय मुसहरी के प्राथमिक विद्यालय की इमारत जीर्ण है;

(ख) क्या यह सही है कि विद्यालय के विद्यार्थी असुरक्षित इमारत में पढ़ने को मजबूर हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है?

पटना शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण कब तक

***221 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि श्रीमती शगुफ्ता नसरीन, सहायक शिक्षिका एवं प्रभारी प्रधानाध्यापिका, मध्य विद्यालय, जफरा, भगवानपुर, नौबतपुर, पटना में फरवरी 2012 से पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि 03 मार्च 2017 को विद्यालय से लौटते समय गांव के पंकज कुमार, जो अन्य प्राथमिक विद्यालय में पंचायत शिक्षक हैं, के द्वारा उक्त विद्यालय में गलत ढंग से उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं किये जाने के कारण शगुफ्ता नसरीन को गालियां देने एवं जान से मार देने की धमकी दी गई, जिसकी प्राथमिकी 03 मार्च 2017 को नौबतपुर थाना में दर्ज की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में अपनी उपस्थति दर्ज कराने हेतु श्री पंकज ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पटना को गलत सूचना देकर पत्र भी निर्गत करा लिया था, जिसे बाद में उसी पदाधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया;

(घ) क्या यह सही है कि शगुफ्ता नसरीन ने धमकी से भयभीत होकर विद्यालय जाना बंद कर दिया है जिससे उनके समक्ष आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धमकाने वाले पर त्वरित कार्रवाई करने एवं शगुफ्ता नसरीन को पटना शहरी क्षेत्र के किसी विद्यालय में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई

***222 डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले तीसरी कक्षा के छात्रों को 'पर्यावरण और हम भाग-1' नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पुस्तक में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज का चित्र छपा है, जिसमें उल्टा तिरंगा छपा हुआ है तथा राष्ट्रगान में भी वर्तनी की अशुद्धियां हैं;

(ग) यदि उपुर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस गंभीर अपराध के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार कब तक कार्रवाई करेगी?

वरीय शिक्षक को प्रभार

***223 श्री टुनजी पाण्डेय (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जिले के नवतन प्रखंड में दामोदर हाई स्कूल नारायणपुर नवतन है;

(ख) क्या यह सही है कि दामोदर हाई स्कूल नारायणपुर नवतन में दो वरिष्ठ शिक्षकों को नजरअन्दाज कर कनीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि कनीय शिक्षक को वरीय शिक्षकों के रहते हुए प्रभारी बनाना नियम का उल्लंघन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वहां वरीय शिक्षक को प्रभार दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारियों एवं आरोपित शिक्षकों पर कार्रवाई

***224 श्री रितलाल राय (स्थानीय प्राधिकार, पटना):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत श्रीमती गिरिजा कुंवर उच्च माध्यमिक विद्यालय, मसौढ़ी के प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों एवं अभिभावकों द्वारा असामाजिक तत्वों से संलिप्त उसी विद्यालय के पांच शिक्षकों के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के निर्देश पर प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मसौढ़ी ने उन आरोपित शिक्षकों के क्रियाकलापों का जांच प्रतिवेदन पत्रांक-371, दिनांक 20.08.2018 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को समर्पित किया था, जिस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्रांक-6524, दिनांक 27.08.2018 एवं पत्रांक-6618, दिनांक 29.08.2018 के द्वारा आरोपितों से स्पष्टीकरण की मांग की थी किन्तु अभी तक आरोपितों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी;

(ख) क्या यह सही है कि आरोपित शिक्षकों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना ने पत्रांक-1681, दिनांक 13.12.2018 के द्वारा शिक्षकों पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भी दिया था, फिर भी कार्रवाई नगण्य है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभी तक आरोपित शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करने वाले पदाधिकारी एवं आरोपित शिक्षकों पर त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नये भवन में पठन-पाठन के कार्य

***225 श्री मनोज यादव (भागलपुर,बॉका स्थानीय प्राधिकार):**

शिक्षा :-

क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय, गुलजारबाग, पटना का नया भवन छात्राओं के पठन-पाठन कार्य के लिए तैयार हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रभारी प्राचार्या बार-बार किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर उक्त नवनिर्मित भवन में पठन-पाठन का कार्य शुरू करवाना नहीं चाहती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (क) में वर्णित महाविद्यालय की छात्राओं का नये भवन में पठन-पाठन का कार्य शुरू कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अवैध खनन बन्द कब तक

*226 **श्री सच्च्दानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):**

खान एवं भूतत्व :-

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत अवैध बालू का खनन जय प्रभा सेतु के पास सरयुग नदी में किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि अवैध खनन के कारण प्रतिदिन जय प्रभा सेतु पर जाम की समस्या रहती है जिसके कारण जय प्रभा सेतु जर्जर हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त अवैध खनन को बंद कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?